संख्या-205/2015/3845/नौ-5-2015-152बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
सिसौली(मुजफफरनगर), जलालाबाद(बिजनौर), बीकापुर(फैजाबाद), मनकापुर(गोण्डा), छपरौली(बागपत), जंगीपुर/सैदपुर(गाजीपुर), कसया(कुशीनगर) एवं घोरावल(सोनभद्र)

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न निकायों को विभिन्न शासनादेशों द्वारा सडक सुधार हेतु सडकों के निर्माण के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है। संदर्भित निकायों द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत 09 निकायों को उनके अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में चालू कार्यो हेतु द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू. 208.13 लाख (रू. दो करोड आठ लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख् रू. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुजफफर नगर	नगर पंचायत, सिसौली	72/2015-1547/नौ-5-2015-66बजट/2014 दि.18.03.2015	39.93	19.50	20.43
2	बिजनौर	नगर पंचायत, जलालाबाद	1.22/2015-1314/नौ-5-2015-205बजट/14 दि.21.02.2015 2.162/2015-3268/नौ-5-15-152बजट/15 दि.28.05.2015	102.99	20.60 20.60	20.60
3	फैजाबाद	नगर पंचायत, बीकापुर	6972/नौ-5-2015-171बजट/2014 दिनांक 29.01.2015	30.00	8.00	22.00
4	गोण्डा	नगर पंचायत, मनकापुर	6718/नौ-5-2013-208बजट/2013टीसी दिनांक 09.12.2013	52.00	25.00	27.00
5	बागपत	नगर पंचायत, छपरौली	71/2015-1874/नौ-5-2015-357बजट/2014टीसी-2 दिनांक 17.03.2015	40.00	8.00	16.00

6	गाजीपुर	नगर पंचायत, जंगीपुर	70/2015-1640/नौ-5-2015-357बजट/2014टीसी-2 दिनांक 17.03.2015	30.00	6.00	24.00
7	गाजीपुर	नगर पंचायत, सैदपुर	6499/नौ-5-2013-208बजट/2013टीसी दिनांक 18.11.2013	43.85	20.00	23.85
8	कुशीनगर	नगर पंचायत, कसया	70/2015-1640/नौ-5-2015-357बजट/2014टीसी-2 दिनांक 17.03.2015	40.00	8.00	32.00
9	सोनभद्र	नगर पंचायत, घोरावल	70/2015-1640/नौ-5-2015-357बजट/2014टीसी-2 दिनांक 17.03.2015	111.25	22.25	22.25
योग						208.13

(रू. दो करोड़ आठ लाख तेरह हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को दिनांक 31-03-2016 तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) प्रश्नगत निकायों को जिन शासनादेशों के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है, उन शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेगीं।

2. स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-205/2015/3845(1)/नौ-5-2015-152बजट/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय/स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. लखनऊ/इलाहाबाद।
6- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-23/06/2015

प्रेषण संख्या:- 205-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-205-2015-3845-9-5-2015-152B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

193 - नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2043000 19182000	2043000 19182000
2	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2060000 21799000	2060000 21799000
3	गाज़ीपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4785000 7170000	4785000 7170000
4	फैजाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 15624000	2200000 15624000
5	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2700000 7228000	2700000 7228000
6	सोनभद्र-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2225000 6144000	2225000 6144000
7	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3200000 3200000	3200000 3200000
8	बागपत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1600000 20224000	1600000 20224000
	योग	वर्तमान प्रगामी	20813000 100571000	20813000 100571000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ आठ लाख तेरह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ पाँच लाख इकत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)